IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–30

सेक्टर–4, सिकन्दरा योजना, आगरा

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

पत्रांक 534 / ENG-24 / 06 दिनांक 18/04/018

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की ओर से, अधोहस्ताक्षरी द्वारा, निम्नलिखित कार्यों हेतु परिषद में उपयुक्त श्रेणी एवं ग्रुप में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मो से ई–निविदायें नीचे वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत आमंत्रित की जाती है। ई–प्रीक्योरमेंट सोल्यूशन द्वारा निविदाओं के अपलोड करने एवं खोलने तथा अन्य विवरण निम्नवत हैं।

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू० लाख)	धरोहर धनराशि (रू० लाख)	बिड प्रोसेशिंग फी (रू० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	बिड पद्धति	ई–निविदा पोर्टल etender.up.nic.in पर निविदा प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथि एवं समय	ई–निविदा को अपलोड करने एवं बिड प्राप्त करने तथा धरोहर धनराशि की आर. टी.जी.एस. करने की अन्तिम तिथि एवं समय	निविदा की तकनीकी बिड खुलने की तिथि एवं समय	निविदा की वित्तीय बिड खुलने की तिथि एवं समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	आगरा मण्डल के जनपद मैनपुरी के ब्लॉक जागीर (ग्राम पंचायत एलाऊ) में 01 नग व जनपद फिरोजाबाद के ब्लॉक फिरोजाबाद सदर में 01 नग मल्टीपरपज सीड स्टोर एवं टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन सेन्टर्स का निर्माण कार्य।	140.00	2.80	4500.00 + 18 % G.S.T.	12 माह	डबल बिड	30.04.2018 सायं 3:00 बजे अपरान्ह	14.05.2018 सायं 3:00 बजे अपरान्ह	14.05.2018 सायं 3:30 बजे अपरान्ह	15.05.2018 सायं 3:00 बजे अपरान्ह

नियम व शर्ते :–

1. निविदा से सम्बन्धित धरोहर धनराशि एवं निविदा बिड प्रासेसिंग फी आर०टी०जी०एस० के माध्यम से निम्नलिखित बैंक खाते में जमा कराया जाएगा। वांछित धनराशि खाते में स्थानान्तरित होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा। बिना धरोहर धनराशि एवं बिड प्रासेसिंग फी के डबल बिड के अन्तर्गत वित्तीय बिड तथा एकल बिड के अन्तर्गत प्राप्त बिड नहीं खोली जायेगी। धरोहर धनराशि से सम्बन्धित विवरण निम्नवत् है :–

Name of Holder	:-	Eexecutive Engineer, Construction Division-30 U.P. Avas Evam Vikas Parishad, Agra-282007
A/C No.	:-	21156130649
IFSC No.	:-	ALLA0212300
Name of Bank	:-	ALLAHABAD BANK, Branch UPAVP, Sector-4, AGRA

2. निविदा प्रपत्र, परिषद की बेबसाइट www.upavp.in के निविदा लिंक पर उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉलिक कारपोरेशन की बेबसाइट http://etender.up.nic.in पर देखें जा सकते हैं। निविदा डाउनलोड/अपलोड भी इसी वेब साइट से किया जाएगा। इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से उक्त बेबसाइट को देखते रहें क्योंकि प्रश्नगत निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा सूचना बेबसाइट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी। सक्षम सेवा प्रदाता से उपलब्ध कराये गए डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदारों द्वारा ही ऑनलाइन निविदा डाली जा सकती है।
3. निविदा की वैधता निविदा खुलने की तिथि से कम से कम 3 माह की होगी, जिसके लिए निर्धारित निविदा के साथ रू० 100.00 का नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर *रू० 1.00 का रेवेन्यू स्टाम्प हस्ताक्षरित निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।*
4. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदाएं, बिना कारण बतायें, निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
5. कार्य की मात्रा किसी भी सीमा तक कम या अधिक हो सकती है जिसके लिए निविदादाता का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
6. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध गठन हेतु नवीनतम शासनादेशों के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। उक्त हेतु अनुबन्ध गठन के समय रू० 100.00 के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा।
7. उ०प्र० शासन के नवीनतम शासनादेश के अनुसार डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि एक वर्ष होगी।

से संबंधित अन्य नियम व शर्ते किसी भी कार्य दिवस पर खण्ड कार्यालय से देखी जा सकती है। निविदाओं से संबंधित विवरण परिषद की वेवसाइट **www.upavp.in** पर देखी जा सकती है।

त कार्य उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग एवं परिषद की नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेंगे।

ासनादेश के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयुक्त मिट्टी, सैण्ड, स्टोन ग्रिट/बैलास्ट आदि पर दी गयी रॉयल्टी के भुगतानों के चालान/रवन्ना आदेश की सत्यापित प्रति बीजक के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा नियमानुसार बीजक से रॉयल्टी की कटौती की जायेगी।

11. कार्य निर्धारित अवधि मे पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिये। प्रगति का आंकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्यूम्यूलेटिव प्रगति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नही होगा।
12. निविदादाता/फर्म को **आयकर विभाग, श्रम विभाग एवं जी.एस.टी. में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा**, जिसकी प्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न की जानी आवश्यक है तथा उनके सभी देयकों से आयकर, लेबर सेस, एवं अन्य कर जो राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा लागू किये जाते हैं, की कटौती नियमानुसार की जायेगी। **जी0एस0टी0 के सम्बन्ध में भुगतान नियमानुसार किया जाएगा।**
13. निविदादाता के निविदा स्वीकृत/अनुबन्ध गठित होने के उपरांत यदि यह संज्ञान में आता है कि संबंधित निविदादाता सक्रिय भू-माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यो एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसकी निविदा पर विचार नहीं होगा तथा उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध/ठेका निरस्त कर दिया जायेगा उसमें किसी भी क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी।
14. उ0प्र0 शासन के लोक निर्माण अनुभाग-12 के पत्र संख्या-622/23-2012-2 आडिट/08 टी दिनांक 08 जून 2012 तथा समविषयक आवास एवं विकास परिषद मुख्यालय के पत्रांक-1282/एम-2/दिनांक 02.04.2013 के अन्तर्गत 10 प्रतिशत कम दरों तक 0.5 प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक कम दर पर 01 प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफार्मेन्स गारन्टी FDR/CDR/NSC के रूप में जो कार्य की वास्तविक समापन तिथि तक वैध हो (समयवृद्धि प्रदान किये जाने की दशा में भी) अनुबन्ध गठन से पूर्व देनी होगी, जो उक्त शासनादेश में निहित प्रक्रिया के अनुसार अवमुक्त की जायेगी।
15. निविदादाता के द्वारा निविदा के अन्तर्गत जो भी प्रपत्र ऑनलाइन प्रेषित किये जायेंगे, उन प्रपत्रों की हार्ड कॉपी, ई-निविदा अपलोड होने की अंतिम तिथि से अगले दो कार्य दिवस तक अनिवार्य रूप से खण्ड कार्यालय में जमा कराये जाने होंगे।
16. उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियम नियमावली वर्ष 2009 के विनियम 24(2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा के एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अतः निविदा स्वीकृति एवं अनुबन्ध गठन के पश्चात् एक सप्ताह के अन्दर पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा तथा प्रत्येक देयक से नियमानुसार लेवर सैस की कटौती की जायेगी।
17. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा, यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के पश्चात् होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुये दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए ठेकेदार को काली सूची में डाला जायेगा।
18. निविदादाता को निविदा स्वीकृत की दशा में अनुबन्ध पूर्व निविदा के अनुसार कार्य की कुल लागत का 10.00 प्रतिशत (दस प्रतिशत) सिक्योरिटी धनराशि एफ.डी.आर./सी.डी.आर. के रूप में, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-30, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आगरा के पक्ष में बन्धक बनाकर, जमा करनी होगी।
19. आवश्यकतानुसार अथवा उच्चाधिकारियों के निरीक्षण के समय स्थल के समय सैम्पल बाह्य संस्थान/लैब से कराने पर आने वाले व्यय की कटौती देयकों से की जायेगी।
20. वर्तमान में कार्य कर रहे जिन ठेकेदारों के कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
21. परिषद में पंजीकृत ठेकेदारों की जनरल सिक्योरिटी होने पर धरोहर धनराशि में नियमानुसार छूट देय होगी।
22. यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथियों को अवकाश हो जाता है तो निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेंगी।
23. कराये जाने वाले कार्यो में मौके की स्थिति के अनुसार कार्य स्थल एवं कार्य की मात्रा/मदों में आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है। जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 / / दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निदेशक, ग्लोबल कन्सट्रक्शन एंड कन्सलटेन्सी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
2. संयुक्त निदेशक (पश्चिमी-द्वितीय), ग्लोबल सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, सेक्टर -13, आफिस काम्लैक्स, प्रथम तल, पं0 दीनदयाल उपाध्यायपुरम् (सिकन्दरा योजना) आगरा
3. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/मण्डोला/वृन्दावन/ मेरठ/कानपुर/ मुरादाबाद/गाजियाबाद।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड- 28/29 आगरा व 33, अलीगढ़।
5. अधिशासी अभियन्ता, कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को परिषद की वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

अधिशासी अभियन्ता